

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग


क्रमांक:-एफ.5(20)पपा/94

जयपुर, दिनांक-9 JUN 2020

अधिसूचना


राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार सम्पूर्ण राज्य में इस वर्ष दिनांक 01 जुलाई, से 15 अगस्त, 2020 तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों का विक्रय या वस्तु विनिमय के लिये प्रस्थापना करना या उसे अभिदर्शित करना तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित करती हैं।

आज्ञा से


(डॉ. विरेन्द्र सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0 जयपुर।
8. महानिदेशक, पुलिस, राज0 जयपुर।
9. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राज0 जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
12. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज0 ।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विशेष राजपत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित राजपत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं निदेशक, मत्स्य विभाग, राज0 सरकार को प्रेषित करें।
15. समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य एवं मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी मार्फत निदेशक मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
16. मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, प्रधान कार्यालय, मुम्बई/उत्तर रेलवे चंडीगढ़/पूर्वी रेलवे, कोलकाता/मध्य रेलवे इलाहाबाद/दक्षिण रेलवे चेन्नई।
17. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव